उपस्थिति :–
वादीगण कि ओर से अधिवक्ता भंवरलाल जोशी उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 की ओर से अधिवक्ता प्रवीण मदेरणा।

–: निर्णय :–

दिनांक 7/06/19

वादी ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी अधिकारो की कब्जा सुदभूमि गांव रामदेवनगर, लोहावट जाटवास मे आयी हुई है जिसके खसरा सं. 644/3 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा है जिसमे वादी सं. 1 का 30/1255 हिस्सा यानि 1 बीघा 10 बिस्वा है, वादी सं. 2 का 90/1255 हिस्सा यानि 4 बीघा 10 बिस्वा है, वादी सं. 3 का 100/1255 हिस्सा यानि 5 बीघा है जो की वादीगण की कुल हिस्से की भूमि 11 बीघा की उक्त खेत खसरा मे आयी हुई है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 का उक्त खेत खसरा में कोई हक हिस्सा एवं खातेदारी नही है फिर भी वादीगण की खातेदारी भूमि को हडप करना चाहते है, वादीगण की भूमि जोधपुर–फलोदी रोड पर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा मार्क A B C D दर्शायी हुई है जो नक्शा एनेक्चर–1 है जो वाद पत्र का भाग है।

वादीगण की कब्जा सुद खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 दिनांक 06–04–2014 को नलकुप खुदवाने हेतु मौके पर आकर निशान करने लग गये तब वादीगण को सूचना मिलने पर मौके पर जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 4 को रोका कि यह हमारी कब्जा सुद खातेदारी की भूमि है इसमे आप नलकुप वगैरा नही खुदवा सकते है ना ही आपका इस भूमि पर कोई हक हिस्सा नही है आपकी खातेदारी की भूमि सडक के दुसरी तरफ आयी हुई है जिसके खसरा सं. 644/1 उस तरफ ही आपका कब्जा काश्त है आप हमारी खातेदारी अधिकारो की कब्जा सुद भूमि मे नलकुप नही खुदवाने तथा किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने का कोई अधिकार नही है उस वक्त तो प्रतिवादी सं. 1 से 4 चले गये लेकिन पुनः दिनाक 07.04.2014 को रात्री के समय वादीगण के कब्जा सुद खातेदारी अधिकारी की भूमि मे नलकुप खुदवाने की मशीन लेकर पहुच गये तब वादीगण को पडोसियो से सूचना मिलने पर मौके पर पहुचे तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 को नलकुप खोदने नही दिया लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने वादीगण को धमकी दी कि हमारे द्वारा विधुत विभाग लोहावट मे डिमांड राशि जमा करवा दी गयी है तथा कभी भी हम रातो रात नलकुप खुदवाकर विधुत कनेक्शन लेकर कब्जा कर लेंगे तुम लोगो का जो करना है वह कर लेना इस प्रकार की धमकी प्रतिवादी सं. 1 से 4 के द्वारा देने से वादीगण को भयंकर भय पैदा हो गया कि वादीगण उक्त खेत खसरा से अन्य स्थान पर निवास करते है प्रतिवादी सं. 1 से 4 इसी खेत खसरा में पास मे निवास करते है प्रतिवादी सं. 1 से 4 द्वारा उक्त गैर कानुनी एवं विधि विरूद्व तरीके से कुत्य करने मे सफल हो जायेगे तो वादीगण को भयंकर नुकसान होगा जिसकी ना तो क्षतिपुर्ति की जा सकेगी और ना ही उसका मुल्यांकन किया जा सकेगा तथा पक्षकारों के मध्य वादो की बहुलता बढेगी इन परिस्थितियो मे माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप अति आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वाद पत्र के पद सं. 1 मे वर्णित राजस्व भूमि जो वादीगण की कब्जा सुद खातेदारी की भूमि गांव रामदेवनगर लोहावट जाटवास मे अयी हुई है जिसके खसरा सं.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 02 :– आया वादी ग्राम रामदेवनगर के खेत ख.न. 644/3 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा में एनेक्चर–1 नक्शा मार्क ए.बी.सी.डी. अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है ?

(जिम्मे वादी)

तहसीलदार लोहावट से प्राप्त मौका रिपोर्ट व बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार मौके पर ख.सं. 644/3 का रकबा रिकोर्ड के अनुसार न होकर उससे कम है। अतः तनकी सं. 02 को वादी के पक्ष में आंशिक निर्णीत किया जाता है वादीगण के हिस्से को तहसीलदार लोहावट से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव में प्रस्तावित ख.स. 644/4 के अनुसार ही तरमीम की जावे।

तनकी संख्या 03 :– आया प्रतिवादी ख.न. 644/1 रकबा 51 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की भूमि जोधपुर फलौदी डामर सड़क पर स्थित होने से वादी के मन में उक्त भूमि पर कब्जा की बदयान्ति है। झूठे कटान पर प्रस्तुत वाद खारीय योग्य है ?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4)

प्रतवादी सं. 1 ता 4 के ख.सं. 644/1 रकबा 51 बीघा तहसीलदार लोहावट से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार ही दर्शाया गया है तथा ख.सं. 644/1 के रकबा 51 बीघा के अतिरिक्त खाली भूमि पर वादीगण के काबिज होने की पुष्टि बंटवाड़ा प्रस्ताव में की गई है। अतः तनकी सं. 03 प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– आया वाद वादीगण व्यवहारकरण के अभाव में कोर्ट फीस के अभाव में चलने योग्य नही होने से खारीज योग्य है ?

(जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4)

तहसीलदार लोहावट से प्राप्त मौका रिपोर्ट में वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके व कब्जे काश्त को लेकर आपसी सहमती न होने व मौका कब्जा रिकार्ड अनुसार कम व अधिक होने से मौके पर विवादित स्थिति दर्शायी गई है। अतः तनकी सं. 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन करने व तनकीवार विवेचन करने के बाद प्रकरण में निर्णय इस प्रकार किया जाता है :–

–: आदेश :–

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम गांव रामदेवनगर, पटवार क्षेत्र लोहावट जाटवास तहसील लोहावट के खेत खसरा न. 644/3 रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा तहसीलदार लोहावट से प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार किया जाता है :–

सहायक कलक्टर एवं [illegible] दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म
1. (वादी)	माणकराम खींचड़ पिता उदाराम 130／220 हि. सा. हनुमानपुरा खारा जगदीशचन्द्र पिता कैलाशराम 90／220 हि. जाति विश्नोई सा. सदर राजाला खातेदार	644／4	11 बीघा	बारानी ।।।
2. (प्रतिवादी)	कालुराम सोहनलाल राजुराम हुक्माराम रमेश कुमार प्रकाशचन्द पिता भंवरलाल माडुदेवी पत्नि पेमाराम, किरण पुत्री पेमाराम जाति नाई सा.देह 251／414 महेन्द्र ओमप्रकाश पिता हड़मानाराम पतासी रेखा पुत्री हड़मानाराम, खेतुदेवी पत्नि हड़मानाराम पिता किसनाराम 157／1035 जानी बेवा किसनाराम 313／2070 जुगलकिशोर पिता किशनलाल उर्फ किसनाराम 47／1035 अशोक कुमार पिता किशनलाल उर्फ किसनाराम 47／1035 जाति नाई सा.देह खातेदार	644／3	51.15 बीघा	बारानी ।।

तहसीलदार लोहावट इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

27/6/19

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner